HV Audit cell

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन,
लखनऊ।

संख्या : 629 / स्टा0आफि0 / (स0अ0) / पाकालि / 2018 दिनांकः 27, अगस्त, 2018

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल / दक्षिणांचल / मध्यांचल / पूर्वांचल / केस्को
मेरठ / आगरा / लखनऊ / वाराणसी / कानपुर
विद्युत वितरण निगम लि0।

विषय :– एच0वी0 आडिट एवं रेड सेल के दायित्वों एवं कर्तव्यों को विस्तारित कर 10 किवा व अधिक के संयोजनों के वाणिज्यिक पैरामीटर्स का सघन अनुश्रवण सम्मिलित किये जाने हेतु।

कारपोरेशन के पत्र सं0 489 / स्टा0आफि0 / (सं0अ0) / पाकालि / 18 दिनांक 23.07.2018 एवं पत्र सं0 598 / स्टा0आफि0 / (सं0अ0) / पाकालि / 18 दिनांक 08.08.2018 द्वारा समस्त डिस्काम को डिस्काम मुख्यालय स्तर पर एचवी ऑडिट एवं रेड सेल का गठन करने के लिए निर्देशित किया गया था। पत्र में एचवी ऑडिट एवं रेड सेल के कर्तव्यों एवं दायित्वों का विवरण भी दिया गया था।

तत्क्रम में इस सेल के कर्तव्यों एवं दायित्वों में निम्नांकित अतिरिक्त कार्यों को सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एचवी ऑडिट एवं रेड सेल द्वारा 10 कि0वा0 व अधिक के संयोजनों के सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दुओं का गहन अनुश्रवण किया जायेगा एवं विसंगति पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करायी जायेगी :–

1. मीटर एक वर्ष में दो या अधिक बार बदला गया हो अथवा मीटर एक या अधिक बार जला पाया गया हो अथवा मीटर पर डिस्प्ले नहीं आ रहा हो अथवा मीटर एक या अधिक बार चोरी हो गया हो
2. दो या अधिक माह से बिल वास्तविक मीटर रीडिंग के स्थान पर निर्धारण यूनिटों के आधार पर बन रहा हो (मीटर खराब अथवा परिसर बन्द होने की वजह से)।
3. ए0एम0आर0 लगे होने के बावजूद दो या अधिक माह तक डाउनलोडेड रीडिंग से बिल न बन रहा हो।
4. मीटर डाटा से यह निस्कर्ष निकलता हो कि किसी माह में 10 दिन से अधिक समय तक ऊर्जा खपत शून्य हो एवं यह पैटर्न 02 या अधिक माह से आ रहा हो।
5. पोस्ट पेड़ उपभोक्ता का किसी समय बकाया औसत मासिक बिल के दो गुना से अधिक हो।
6. प्री–पेड उपभोक्ता ने दो माह से अधिक समय तक रिचार्ज न कराया हो।
7. दो या अधिक बार उपभोक्ता का चेक अनादृत हुआ हो।
8. वर्ष में एक या अधिक बार उपभोक्ता पर प्रवर्तन / विद्युत चोरी की कार्यवाही की गयी हो।
9. उपभोक्ता की अधिकतम मांग 03 या अधिक माह में स्वीकृत भार के 03 गुने से ज्यादा दर्ज हुयी हो।
10. लगातार 02 या अधिक बिलिंग चक्र में मीटर रीडर द्वारा विद्युत चोरी की आशंका व्यक्त किये जाने पर।
11. वर्ष में 03 या अधिक बार उपभोक्ता का बिल संशोधन किया गया हो।
12. वर्ष में एक या अधिक बार उपभोक्ता का स्वीकृत भार कम किया गया हो।

Aparna U.
(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि : –

1. निजी सचिव, अध्यक्ष को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
2. निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पाकालि।
3. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पाकालि।
4. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा), उ0प्र0 पाकालि।
5. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)–2, उ0प्र0 पाकालि।
6. अधीक्षण अभियन्ता (आर0ए0पी0डी0आर0पी0 पार्ट–ए) एवं इंचार्ज आई0टी0 सेल, उ0प्र0 पाकालि को उपरोक्त सम्बन्धी रागरत रिपोर्टों की सिस्टम पर उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु।

c:\users\vishal\desktop\letter 2018.docx